ऑन लाईन नं. RCMS 2017/00067

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 02/17

श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, बीकानेर, जोन बीकानेर

बनाम

बलवन्तराय पुत्र श्री मोतीराम अग्रवाल, जाति अग्रवाल (विक्रेता एवं मालिक), मै. कंसल प्रोविजन स्टोर, अनाजमण्डी के सामने, लालगढ जाटान, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(II)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक : 23.06.2017

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री महमूद अली दिनांक 08–01–17 को कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, बीकानेर जोन बीकानेर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य करने हेतु अधिकृत है। उन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफए/ नोटिफिकेशन/2011/441 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज., जयपुर के आदेश क्रमांक : संस्था/चि.अ./एटी/प02/ 2015/एसपी–1 बीकानेर आवंटित किया गया और जोन बीकानेर के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उसके कार्य क्षेत्र में आते है।

श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.01.2017 को 12:45 पी.एम. पर मै. कंसल प्रोविजन स्टोर, अनाज मण्डी के सामने, लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे, अपना परिचय दिया। वहां फर्म पर श्री बलवंतराय पुत्र श्री मोतीराम अग्रवाल जाति अग्रवाल (विक्रेता एवं मालिक) आम जनता को खाद्य पदार्थ चाय (महाराजा) पोली पैक्ड 250 ग्राम आदि बेच रहे थे। निरीक्षण के दौरान मौके पर दिनांक 07.11.2014 से दिनांक 06.11.2015 तक खाद्य रजिस्ट्रेशन दिखाया तथा वर्ष 2017 का खाद्य रजिस्ट्रेशन नहीं होना बताया। गवाहान श्री रमेश कुमार पुत्र हरिराम कुम्हार निवासी लालगढ जाटान, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर व संदीप कुमार पुत्र श्री बलवन्तराय निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के समक्ष विक्रेता मालिक श्री बलवन्तराय की उपिस्थति में दुकान का निरीक्षण किया, जहां दुकान में रखी 15 पोली पैक्ड थैलियां प्रत्येक 250 ग्राम में से 8 पोली पैक्ड थैलियां प्रत्येक 250

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ग्राम चाय (महाराजा) पोली पैक्ड 250 ग्राम नमूना संग्रह हेतु क्रय कर, 360/– रूपये विक्रेता श्री बलवन्त राय को नगद भुगतान पर रसीद प्राप्त की, जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाहान एवं विक्रेता के हस्ताक्षर है। विक्रेता को फार्म नं. 5 पर जांच हेतु नमूना संग्रह करने की लिखित सूचना देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाहान एवं विक्रेता के हस्ताक्षर हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये गये, जिस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर जोन बीकानेर के कोड एवं क्रमांक एबी–840 लिखा व अन्य विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना भाग (दो पोली पैक्ड थैलियां प्रत्येक नमूना भाग) पर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज से लपेट कर सिरों पर सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक भाग पर अभिहीत अधिकारी एवं उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, बीकानेर जोन, बीकानेर के कोड व क्रमांक एबी–840 अंकित कर विवरण लिखकर खाद्य सरुक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। विक्रेता व गवाहान ने नियमानुसार पेपर स्लिप व खाकी कगज को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर किये। नियमानुसार नमूना लेकर चारों सील बंद नमूना भागों को अपने जाब्ते में लिया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर सील से नमूना एबी–840 सील बंद किया था। समस्त कार्यवाही गवाहान व विक्रेता के सामने मौके पर ही की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की सात प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं उपनिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, बीकानेर जोन बीकानेर के कोड व क्रमांक एबी–840 अंकित कर विवरण लिखा फार्म नं 06 की दो प्रति एक लिफाफे में रखकर मुख्य विश्लेषक, राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर राजस्थान को भिजवाई, जिसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं 6 की एक प्रति अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं उपनिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, बीकानेर जोन बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं उपनिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, बीकानेर जोन, बीकानेर के पत्र क्रमांक जोन/एफएसएसए/2017/575–76 दिनांक 30.01.2017 के द्वारा जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/20/एक्ट/2017/85/ दिनांक 17.01.2017 द्वारा विक्रेता श्री बलवन्तराय से जांच हेतु क्रय की गई चाय (महाराजा) पोली पैक्ड 250 ग्राम का नमूना संख्या एबी–840 **मिसब्राण्ड** होना पाया गया। अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, बीकानेर जोन बीकानेर ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/17/2297/दिनांक 02.05.2017 की पालना में अभियुक्त के विरूद्ध एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 11.05.2017 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस चाय (महाराज ब्राण्ड) का नमूना जांच हेतु लिया गया, वह उसके द्वारा सेल्समैन से लिया गया था, जिसके द्वारा उसे बिल नहीं दिया था। जांच रिपोर्ट के अनुसार चाय (महाराजा ब्राण्ड) मिसब्राण्ड पाया गया है चाय की क्वालिटी सही पाई गई है। भविष्य में अभियुक्त बिल से ही माल लेगा एवं बिक्री करेगा। अभियुक्त अपनी गलती स्वीकार करता है। अभियुक्त ने कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया है।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया चाय (महाराजा) सैम्पल एबी–840 जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/20/एक्ट/2017/85/ दिनांक 17.01.2017 द्वारा **मिसब्राण्ड** होना पाया गया है। अभियुक्त से लिया गया सैम्पल में मिलावट होना नहीं पाई गई है और न ही यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार मिसब्राण्ड पाये जाने पर अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 3(1)(zf)(C)(i) स्टैण्डर्ड एक्ट 2006 उल्लंधन का अपराध साबित होता है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराया गया है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया चाय (महाराजा) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 3(1)(zf)(C)(i) स्टैण्डर्ड एक्ट 2006 उल्लंधन का अपराध साबित होता है। जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त श्री बलवन्तराय को एफएसएस एक्ट 2006 3(1)(zf)(C)(i) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। अभियुक्त श्री बलवंतराय को under section 3(1)(zf)(C)(i) of the Food Safety and Standard Act 2006 के अन्तर्गत राशि रूपये 5,000–00 (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में चाय के पोली पैक्ड पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग एण्ड लेवलिंग अधिनियम 2011 की पालना में घोषणा अंकित करें ताकि उपभोक्ता के हितों की रक्षा हो सके एवं उपभोक्ता को ज्ञान हो कि वे क्या खाद्य पदार्थ इस्तेमाल कर रहे है। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/6/17

(नख़तदान बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर